डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पंत्राकः सम्बद्धन/ 455 /10
दिनांकः 15 / 12 /2010 /10

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,
शान्ति देवी आहूजा गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजूकेशन,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2179/सत्तर-2-2010-2(757)/2008 लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर, 2010 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र दिनांक 01.07.2010 से उक्त पत्र में उल्लिखित छः शर्तो के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2010 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सम्स्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश सख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एंव इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एंव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

15/12/10

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः-
1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
2-निजी सचिव कुलपति।
3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,जिला पंचायत परिसर,बालूगंज,आगरा।
4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)